राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा सूचना

क्रमांक : एसके / एचसी / 2013–14 / 165 दिनांक :23.11.2013

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय के उपयोगार्थ निम्नलिखित सामान की अंकित मात्रानुसार खरीद हेतु दरों के सम्बन्ध में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

S No	ITEM NAME	QTY.	APPROX COST (in Lakh)	S No.	ITEM NAME	QTY.	APPROX COST (in Lakh)
1	LARGE SIZE WOODEN TABLE	1	0.25	5	SUNMICA TOP TABLE WITH IRON RACK	12	1.20
2	SIDE RACK WOODEN	4	0.20	6	EXECUTIVE REVOLVING CHAIR	04	0.40
3	BIG SIZE WOODEN TABLE	5	1.00	7	OFFICE CHAIR	20	0.60
4	WOODEN CHAIR WITH CUSHION	15	0.45				

निविदाएँ दिनांक 25.11.2013 से दिनांक 03.12.2013 तक दोपहर 2 बजे तक बेची जाकर दिनांक 03.12.2013 को साँयकाल 4 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं प्राप्त निविदाएँ उसी दिन साँय 4.30 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट http://www.hcraj.nic.in पर देखी जा सकेगीं। निविदा फार्म मय विवरण कार्यालय समय में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते है ।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर) 23-11-13

रजिस्ट्रार (प्रशासन),

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

पृष्ठ सख्या – 1

1. निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में दिनांक 25.11..2013 से दिनांक 3.12..2013 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते है।

2. निविदाऍं पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 3.12.2013 को साँय 4 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। निविदाऍं पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिये। प्राप्त निविदाऍं दिनांक 3.12.2013 को ही साँय 4.30 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी । विलम्ब से प्राप्त निविदाऍं स्वीकार नहीं की जाएगी ।

3. फर्नीचर की सप्लाई कार्यालय द्वारा निर्धारित समय में निर्दिष्ट स्थान पर एक मुश्त रूप से करनी होगी।

4. निविदादाता को अनुमानित क्रय राशि का 2 प्रतिशत रूपये कार्यालय में धरोहर राशि के रूप में नगद रूप से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाई जायेगी । डिमाण्ड ड्राफ्ट '**रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**' के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा।

5. निविदा एवं प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एव अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। कॉट–छॉंट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा में प्रस्तुत दरों में, सामान को निर्दिष्ट स्थान/भण्डारगृह पर पहुँचाने (Handling Charges) तथा स्थापित करने का व्यय (Installation Charge) भी सम्मिलित होगा ।

6. निविदा में सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं का मेक, ब्राण्ड का नाम मॉडल नम्बर (यदि हो तो) का वर्णन स्पष्ट रूप से किया जाना आवश्यक है तथा सप्लाई किये जाने वाले फर्नीचर आइटम्स का पूर्ण विवरण/नमूना/स्केच/फोटो इत्यादि निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

7. माल/वस्तुओं की सप्लाई आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर सप्लाई किये जाने वाले सामान की कुल कीमत का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी। जिसमें जमा धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक करार पत्र जो कि कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। सभी महत्वपूर्ण शर्तें उसके बदले स्वीकार की गई सभी शर्ते तथा फर्म के साथ पत्र व्यवहार अनुबन्ध का भाग होगा।

8. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा । सन्तोषप्रद सप्लाई के पश्चात ही भुगतान देय होगा । प्रत्येक सप्लाई आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वांछित गुणवत्ता/निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप एक साथ करनी होगी । माल आदेशानुसार नहीं होने पर निविदादाता के खर्चे पर लौटाया जा सकेगा तथा ऐसा सामान बाजार से क्रय कर अंतर की राशि/ अधिक व्यय सम्बन्धित निविदादाता से वसूल की जाएगी ।

9. सम्बन्धित फर्म को क्रय समिति के समक्ष माल/वस्तु का पूर्ण विवरण/नमूना/स्केच/फोटो इत्यादि गुणवता की परख हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिसे निविदा निस्तारण के पश्चात लौटा दिया जायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ सख्या –2

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्ते ::

पृष्ठ सख्या – 2

10. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने को पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा । विभाग न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा ।

11. निदेशक इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाई, राजस्थान के अर्न्तगत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत वस्तुओ की निविदा दे सकती है । उनको धरोहर राशि जमा कराने की छूट का लाभ नियमानुसार देय होगा । किसी अन्य सप्लाई के लिए जमा धरोहर राशि का समायोजन इस निविदा के पेटे नहीं किया जावेगा।

12. उक्त कार्य सम्पादन/आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा और न हीं कोई जिम्मेवारी होगी ।

13. सामग्री सप्लाई ओदश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करनी होगीं। माल के सप्लाई नहीं करने अथवा विलम्ब से सप्लाई पर नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी ।

14. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।

15. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

आज्ञा से,

[signature] 23/1/13

रजिस्ट्रार (प्रशासन),